

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2021—पौष 25, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुसरत बानो आत्मजा मोहम्मद अफजल, उम्र 21 वर्ष, निवासी-मकान नं.-203, वार्ड नं.-39, बैजनाथ पारा, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम मुसरत बानो (Mushrat Bano) है जो कि मेरे कक्षा पांचवी की अंकसूची व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे दाखिला पंजी, आठवीं व बारहवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम Murshrat Bano, Morshrat Bano तथा कक्षा दसवीं की अंकसूची में Mushrat दर्ज है जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर, मैं अपने वास्तविक नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य समस्त दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे मुसरत बानो Mushrat Bano आत्मजा मोहम्मद अफजल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

Mushrat,
Murshrat Bano,
Morshrat Bano
पिता-मोहम्मद अफजल
निवासी-मकान नं.-203, वार्ड नं.-39,
बैजनाथ पारा, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मुसरत बानो
(Mushrat Bano)
पिता-मोहम्मद अफजल
निवासी-मकान नं.-203, वार्ड नं.-39,
बैजनाथ पारा, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, याल्ला सत्या नारायण आत्मज स्व. याल्ला नरसिम्हा मुर्ति, उम्र 52 वर्ष, निवासी- ए-24, कर्मचारी नगर, वार्ड नं.-16, सिकोला भाठा, मोहन नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम वाई. एस. नारायण आ. वाई. एन. मुर्ति दर्ज है जबकि मेरा व मेरे पिता का पूर्ण वास्तविक नाम याल्ला सत्या नारायण आत्मज याल्ला नरसिम्हा मुर्ति है जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय अभिलेखों, दस्तावेजों व सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे याल्ला सत्या नारायण (Yalla Satya Narayan) आत्मज स्व. याल्ला नरसिम्हा मुर्ति (Late Yalla Narsimha Murty) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
वाई. एस. नारायण (Y. S. Narayan) पिता-वाई. एन. मुर्ति (S/o-Y. N. Murty) निवासी-ए-24, कर्मचारी नगर, वार्ड नं.-16, सिकोला भाठा, मोहन नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	याल्ला सत्या नारायण (Yalla Satya Narayan) पिता-स्व. याल्ला नरसिम्हा मुर्ति (S/o-Late Yalla Narsimha Murty) निवासी-ए-24, कर्मचारी नगर, वार्ड नं.-16, सिकोला भाठा, मोहन नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चरनजीत दोसांज आत्मज श्री गुरुबख्स सिंग दोसांज, उम्र 25 वर्ष, निवासी-हाउस नम्बर-89, वार्ड नम्बर-22, नयापारा वार्ड, धमतरी, तहसील व जिला धमतरी (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम चरनजीत दोसांज (Charanjeet Dosanjh) है जो कि मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम के. चरनजीत सिंग दोसांज (K. Charanjeet Singh Dosanjh) दर्ज है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को, मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे चरनजीत दोसांज (Charanjeet Dosanjh) आत्मज श्री गुरुबख्स सिंग दोसांज (Shri Gurubaksh Singh Dosanjh) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
के. चरनजीत सिंग दोसांज (K. Charanjeet Singh Dosanjh) पिता-श्री गुरुबख्स सिंग दोसांज (S/o-Shri Gurubaksh Singh Dosanjh) निवासी-हाउस नम्बर-89, वार्ड नम्बर-22, नयापारा वार्ड, धमतरी, तह. व जिला-धमतरी (छ. ग.)	चरनजीत दोसांज (Charanjeet Dosanjh) पिता-श्री गुरुबख्स सिंग दोसांज (S/o-Shri Gurubaksh Singh Dosanjh) निवासी-हाउस नम्बर-89, वार्ड नम्बर-22, नयापारा वार्ड, धमतरी, तह. व जिला-धमतरी (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रंजीता सिंह ध. प. श्री सुमन कुमार सिंह, निवासी-मकान नंबर बी. 603, सूर्या रेसीडेन्सी, कोहका रोड, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम रंजीता कुमारी था। मेरा विवाह दिनांक 22-06-1998 को श्री सुमन कुमार सिंह के साथ संपन्न हुआ। पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रंजीता सिंह रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती रंजीता सिंह ध. प. श्री सुमन कुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रंजीता कुमारी
(Ranjita Kumari)
पति-श्री सुमन कुमार सिंह
निवासी-मकान नंबर बी. 603,
सूर्या रेसीडेन्सी, कोहका रोड, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती रंजीता सिंह
(Smt. Ranjita Singh)
पति-श्री सुमन कुमार सिंह
निवासी-मकान नंबर बी. 603,
सूर्या रेसीडेन्सी, कोहका रोड, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, करण चन्द्राकर आत्मज श्री अमीन चन्द्राकर, उम्र 31 वर्ष, निवासी-सरकारी स्कूल के पास, मेन रोड सरोरा, नगर पालिक निगम, बिरगांव, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम काजल कुमार आ. श्री अमीन चन्द्राकर था जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व अन्य समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम करण चन्द्राकर रख लिया हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे करण चन्द्राकर आत्मज श्री अमीन चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

काजल कुमार
पिता-श्री अमीन चन्द्राकर
निवासी-सरकारी स्कूल के पास,
मेन रोड सरोरा,
नगर पालिक निगम, बिरगांव,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

करण चन्द्राकर
पिता-श्री अमीन चन्द्राकर
निवासी-सरकारी स्कूल के पास,
मेन रोड सरोरा,
नगर पालिक निगम, बिरगांव,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिषेक दीवान आत्मज श्री एन. पी. दीवान, उम्र 36 वर्ष, निवासी-253, सेक्टर-1, गीतांजली नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम प्रियांशी दीवान था, जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है। मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम आद्या दीवान रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरी पुत्री को आद्या दीवान आत्मजा अभिषेक दीवान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

प्रियांशी दीवान
पिता- श्री अभिषेक दीवान
निवासी-253, सेक्टर-1,
गीतांजली नगर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

आद्या दीवान
पिता- श्री अभिषेक दीवान
निवासी-253, सेक्टर-1,
गीतांजली नगर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ममता नायक ध. प. श्री ललित कुमार नायक, उम्र 44 वर्ष, निवासी-1079, शांति विहार कॉलोनी, डंगनिया, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम धनेश्वरी वर्मा आत्मजा श्री भैयालाल वर्मा था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है। मेरा विवाह दिनांक 19-11-1992 को श्री ललित कुमार नायक के साथ संपन्न हुआ, पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती ममता नायक रख ली हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती ममता नायक ध. प. श्री ललित कुमार नायक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

धनेश्वरी वर्मा
पिता- श्री भैयालाल वर्मा
निवासी-सीतापार, हथबंध,
तहसील-सिमगा
जिला-बलौदाबाजार (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती ममता नायक
पति- श्री ललित कुमार नायक
निवासी-1079, शांति विहार कॉलोनी,
डंगनिया, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश कुमार वर्मा आत्मज श्री चोवाराम वर्मा, उम्र 40 वर्ष, जाति लोधी, निवासी-ग्राम-चंदैनी, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.), वर्तमान निवासी-वार्ड नं.-40, मजदूर नगर, सरोरा, रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड में मेरा वास्तविक नाम राजेश कुमार वर्मा आ. श्री चोवाराम वर्मा दर्ज है, किन्तु मेरे पेनकार्ड में मेरा नाम राजेश कुमार जंघेल आ. श्री चोवाराम जंघेल दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे राजेश कुमार वर्मा आत्मज श्री चोवाराम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

राजेश कुमार जंघेल
पिता- श्री चोवाराम जंघेल
निवासी-ग्राम-चंदैनी,
तहसील-खैरागढ़,
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)
वर्तमान निवासी-वार्ड नं.-40,
मजदूर नगर, सरोरा, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

राजेश कुमार वर्मा
पिता- श्री चोवाराम वर्मा
निवासी-ग्राम-चंदैनी,
तहसील-खैरागढ़,
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)
वर्तमान निवासी-वार्ड नं.-40,
मजदूर नगर, सरोरा, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उदय कुमार धाबरडे आत्मज श्री Parmanand Dhabarde निवासी- QR. No.-B/23, Street Avenue-6, Karmchari Nagar, Durg, Tehsil & District Durg (C. G.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। पूर्व में मेरा नाम उदय कुमार था, जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “धाबरडे” जोड़कर नया नाम उदय कुमार धाबरडे रख लिया हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों, सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे उदय कुमार धाबरडे (Uday Kumar Dhabarde) आत्मज श्री Parmanand Dhabarde के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

उदय कुमार
(Uday Kumar)
पिता- श्री Parmanand Dhabarde
निवासी-QR. No.-B/23,
Street Avenue-6,
Karmchari Nagar, Durg,
Teh & Distt. Durg (C. G.)

नया नाम

उदय कुमार धाबरडे
(Uday Kumar Dhabarde)
पिता- श्री Parmanand Dhabarde
निवासी-QR. No.-B/23,
Street Avenue-6,
Karmchari Nagar, Durg,
Teh & Distt. Durg (C. G.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2020

प्रारूप पांच
[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 का उपनियम (1)]

लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर के समक्ष

रा. प्र. क्र. /बी-113/2020-21

क्रमांक/1496/अ. वि. अ./लो. न्या. पं./2019.—मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन अध्यक्ष, ईमुनाह एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, जगदलपुर लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए, मैं जी. आर. मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर मेरे न्यायालय में दिनांक जून, 2020 दिन शुक्रवार को, कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यास या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र की प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1. | लोक न्यास का नाम :- | अध्यक्ष ईमुनाह एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, जगदलपुर |
| 2. | चल संपत्ति :- | केनरा बैंक, जगदलपुर में जमा राशि-रुपये 2,21,134.00 बचत खाता (दि. 05-06-2020 की स्थिति में) |
| 3. | अचल संपत्ति :- | निरंक |

जी. आर. मरकाम
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2020

आनलाईन प्र. क्र. /ब-113 (1)/ वर्ष 2020-21

क्रमांक/ /अ. वि. अ./ट्रस्ट/2020.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुबन कुमार निवासी वार्ड नं.-02 बनोभाटा, महासमुंद गेरा छ. ग. की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर “लाइफ गिव्हर मिनिस्ट्रज” अस्थायी, किराया के पता-बोरियाखुर्द पुराना धमतरी रोड, कंडिका क्र. 10 चंद्रशेखर आजाद वार्ड नंबर 52 118/51/71, रायपुर जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-04 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|----------------------|----|---|
| 1. | पब्लिक ट्रस्ट का नाम | :- | “लाइफ गिव्हर मिनिस्ट्रज” अस्थायी, किराया के, पता-बोरियाखुर्द पुराना धमतरी रोड, कंडिका क्र. 10 चंद्रशेखर आजाद वार्ड नंबर 52 118/51/71, जिला रायपुर (छ. ग.) |
| 2. | चल संपत्ति | :- | निरंक |
| 3. | अचल संपत्ति | :- | निरंक |

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूची हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की निर्धारित समयावधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 17-12-2020 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईशतहार आज दिनांक 17-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

प्रणव सिंह

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं विकासखण्ड अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा छ. ग.

अकलतरा दिनांक 1 सितम्बर 2020

क्रमांक/क्यू./2020/परिसमापन/1157.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा के आदेश क्रमांक/उपजा/परिसमापन/2020/1157 दिनांक 15-07-2020 द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित सहकारी समितियों को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षर कर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया है, छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 की उपनियम 57 (5) के तहत उक्त संबंध में सूचित किया जाता है अधोलिखित समितियों से किसी सदस्य/व्यक्ति या कोई लेना या देना हो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर अधोलिखित/अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष मय साक्ष्य अपना आपत्ति/दावा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन किसी सदस्य, व्यक्ति या

संस्था के पास इन समितियों का कोई भी चल या अचल संपत्ति या समिति का अभिलेख/दस्तावेज हो तो उक्त अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षर कर्ता को सौंप देवे उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई संपत्ति, अभिलेख या दस्तावेज पाये जाते हैं तो संबंधित पर विधान के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी निर्धारित अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो समिति में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिसमापन की अंतिम कार्यवाही की जावेगी.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र. व दिनांक	वि. खण्ड	परिसमापक का नाम एवं पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बालाजी सह. शक्कर कारखाना कापन	06/12-02-98	अकलतरा	श्री योगेश्वर द्विवेदी स.वि.अ.
2.	राजाराममोहन सिंह गृ. नि. सह. स. अकलतरा	33/31-12-80	अकलतरा	श्री योगेश्वर द्विवेदी स.वि.अ.
3.	कृष्णा बुनकर सह. समिति अकलतरा	79/20-12-80	अकलतरा	श्री योगेश्वर द्विवेदी स.वि.अ.
4.	ज्योति मछुआ सह. समिति पोड़ीदल्हा	254/11-10-01	अकलतरा	श्री योगेश्वर द्विवेदी स.वि.अ.
5.	सहकारी शक्कर कारखाना समिति कापन	293/11-06-03	अकलतरा	श्री योगेश्वर द्विवेदी

योगेश्वर द्विवेदी
परिसमापक एवं सह. वि. अधि.

कार्यालय-उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धमतरी
संयुक्त कार्यालय भवन, कक्ष क्रमांक-25, कलेक्टोरेट के पास

धमतरी दिनांक 31 अक्टूबर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/666 .— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2015/70 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा श्री राजीव लोचन श्रमिक कामगार सहकारी समिति मर्यादित, कठौली, पंजीयन क्रमांक-2377 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री रोहित कुमार सोनकर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए श्री राजीव लोचन श्रमिक कामगार सहकारी समिति मर्यादित, कठौली, पंजीयन क्रमांक-2377 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-10-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी दिनांक 31 अक्टूबर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/667 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2016/604 धमतरी दिनांक 31-08-2016 के द्वारा महानदी श्रमिक कामगार सहकारी समिति मर्यादित, कुरुद, पंजीयन क्रमांक-10 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री भुनेश्वर सिंह नेताम, सहकारी निरीक्षक, धमतरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए महानदी श्रमिक कामगार सहकारी समिति मर्यादित, कुरुद, पंजीयन क्रमांक-10 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-10-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी दिनांक 31 अक्टूबर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/668 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/374 धमतरी दिनांक 28-07-2020 के द्वारा मां अंगारमोती मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, गंगरेल, पंजीयन क्रमांक-145 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्रीमती संगीता सिन्हा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, धमतरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए मां अंगारमोती मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, गंगरेल, पंजीयन क्रमांक-145 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-10-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी दिनांक 31 अक्टूबर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/692 B .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2015/81 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा मां खल्लारी एग्री प्रोडक्ट सहकारी समिति मर्यादित, देवरी (भखारा), पंजीयन क्रमांक-88 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री रोहित कुमार सोनकर, उप अंकेक्षण को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए मां खल्लारी एग्रो प्रोडैक्ट सहकारी समिति मर्यादित, देवरी (भखारा), पंजीयन क्रमांक-88 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-10-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

पीताम्बर ठाकुर
उप पंजीयक.